भाग ४.(ग)

2.40(i)(2)

अंतिम नियम

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2007

क्र. एफ. 2-39-04-सात-शा.-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 240 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (इकसठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, जो उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, अर्थात्:—

नियम

संक्षिप्त नाम, तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृक्षों की कटाई का प्रतिषेध या विनियमन नियम,

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. कोई वृक्ष—(क) किसी जलधारा, झरने या तालाब के किनारे [illegible] 30 मीटर के भीतर,

(ख) किसी सड़क या बैलगाड़ी के रास्ते के मध्य से 15 मीटर के भीतर तथा किसी पगडंडी से 6 मीटर के भीतर,

(ग) किसी पवित्र स्थान से 30 मीटर की परिधि के भीतर किसी उपवन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में,

(घ) वन महोत्सव कार्यक्रम अथवा उसके समान किसी अन्य योजना के अधीन वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण के अधीन के क्षेत्र में,

(ङ) पड़ाव, कब्रस्तान, या श्मशान स्थल, गोठान, खलिहान, बाजार या आबादी के लिए पृथक् रखे गए किसी क्षेत्र में, या

(च) पहाड़ी तथा 25 डिग्री से अधिक ढलान वाले ऊंचे नीचे क्षेत्र पर,

न तो काटा जाएगा, न गिराया जाएगा, न उसका तना छीलकर घेरा जाएगा और न ही उसे अन्यथा नुकसान पहुंचाया जाएगा.

स्पष्टीकरण.—खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए जलधारा में ऐसी सभी सरिताएं, नदियां, छोटी नदियां और नाले सम्मिलित होंगे जिनमें साधारणतया दिसम्बर के अंत तक पानी रहता है, किन्तु मानसून के दौरान पानी के बह निकलने से बनी छोटी अस्थायी नालियां सम्मिलित नहीं होंगी.

3. प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत स्तरीय समिति होगी. ऐसी ग्राम पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति के समस्त सदस्य और स्थानीय पटवारी ऐसी समिति के सदस्य होंगे. सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति का सभापति होगा और ऐसी समिति का सचिव ऐसी समिति का सदस्य सचिव होगा.

4. नियम 2 में विनिर्दिष्ट वृक्ष, ग्राम पंचायत स्तरीय समिति की अनुशंसा पर तहसीलदार (जिसमें अपर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सम्मिलित है) की अनुज्ञा के बिना नहीं काटे जाएंगे:

परन्तु वृक्षों के काटे जाने या काटकर गिराये जाने के लिए कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी, यदि वृक्षों का काटा जाना या काटकर गिराया जाना, मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001) के अनुसार है.

5. दखलरहित या शासकीय भूमि पर खड़े वृक्ष कलेक्टर की लिखित अनुज्ञा के बिना नहीं काटे जाएंगे:

परन्तु ग्राम पंचायत स्तरीय समिति सम्यक् रूप से बुलाये गये सम्मिलन में पारित किए गये विधिमान्य संकल्प के आधार पर तहसीलदार (जिसमें अपर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सम्मिलित है) संहिता की धारा 234 के अधीन तैयार किये गये निस्तार पत्रक के अनुसार केवल उस ग्राम के निवासियों के वास्तविक उपयोग के लिये ग्राम में की दखल रहित भूमि से बबूल प्रजाति के वृक्षों को या उनके भाग को काटने या हटाने की लिखित में अनुज्ञा दे सकेंगे.

6. कोई भूमिस्वामी, जिसकी भूमि वृक्षों से आच्छादित है और जो स्थायी खेती करने के लिये अनुपयुक्त है, राज्य सरकार की उतनी खेती योग्य भूमि से, जो चालू बाजार दर से लगभग बराबर मूल्य की हो, विनिमय करने के लिये कलेक्टर को आवेदन कर सकेगा:

परन्तु ऐसा विनिमय दोनों पक्षों को अलाभकारी नहीं होगा तथा अन्य व्यक्तियों पर ऐसे विनिमय का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो.

पृ.क्र.-
पिछला | अगला
237

7. (1) जहां किसी राजस्व अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई वृक्ष इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में काटा गया है तो राजस्व अधिकारी द्वारा या उसके आदेश के अधीन ऐसे वृक्ष की लकड़ी या कार्प (कारपस) का अधिग्रहण किया जा सकेगा.

(2) जहां राजस्व अधिकारी उपखण्ड अधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है वहां ऐसे अधिग्रहण की रिपोर्ट, उसके द्वारा पन्द्रह दिनों के भीतर, उपखण्ड अधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिये की जाएगी, जैसा कि वह मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 253 के अधीन करना उचित समझे.

8. (1) वृक्षों की कटाई से प्राप्त वनोपज के परिवहन हेतु मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 लागू होंगे.

(2) अभिवहन में वनोपज का भारसाधक कोई व्यक्ति, किसी भी वन अधिकारी, राजस्व अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा, जब कभी उससे ऐसा करने को कहा जाए, उसके प्रभार में की वनोपज से संबंधित पास या पासों को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा.

9. मध्यप्रदेश वृक्षों की कटाई का प्रतिषेध या विनियमन नियम, 2002 एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के उपबंधों के अधीन की गई कोई कार्रवाई या पारित किया गया आदेश, इन नियमों के अधीन की गई कार्रवाई या पारित किया गया आदेश समझा जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंघई, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2007

प्र. क्र. एफ. 2-39-04-सात-शा-6—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 2-39-04-सात-शा-6, दिनांक 26 नवम्बर 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंघई, प्रमुख सचिव.

Bhopal, dated 26th November 2007

F. N.F. 2-39-04-vii-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (LXI) of sub-section (2) of Section 258 read with sub-section (1) of Section 240 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby, makes the following rules, the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 258 of the said Code, namely:—

RULES

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called The Madhya Pradesh Prohibition or Regulation of the cutting of Trees Rules, 2007.

(2) They shall come into force with effect from the date of publication in the " Madhya Pradesh Gazette".

2. No tree shall be cut, felled, girdled or otherwise damaged.—(a) within 30 meters of the extreme edge of the bank of any water course, spring or a tank;

(b) within 15 meters of the centre of a road or a cart track and within 6 meters of a footpath;

(c) over an area covered by a grove within a radius of 30 meters of a sacred place;

(d) in the area under planatation of tree species under the "Van Mahotsava Programme" or under any other similar scheme;

(e) over an area set apart for an encamping ground, burial or burning ground, gothan, threshing floor, bazar or abadi; or

(f) on hilly and undulating ground with slopes exceeding 25 degrees.

Explanation.—For the purpose of clause (a), a water course shall include all streams rivers, rivulets and nallas which usually retain water upto the end of December but shall not include small temporary channels formed by the run off of water during the monsoon.

3. There shall be a Gram Panchayat Level Committee in every Gram Panchayat. All members of the General Administration Committee of such Gram Panchayat and local Patwari shall be the members of such committee. Chairperson of the General Administration Committee shall be the Chairman and Secretary of such committee shall be the Member-Secretary of such committee.

4. Tree specified in rule 2, shall not be cut without the permission of the Tahsildar (which includes Additional Tahsildar and Naib Tahsildar) on the recommendation of Gram Panchayat Level Committee;

Provided that no permission for cutting or felling of trees shall be required, if the cutting or felling of trees is in accordance with the Madhya Pradesh Lok Vaniki Adhiniyam, 2001 (No. 10 of 2001).

पृ.क्र.-

पिछला | अगला

238

241(1)(2)

5. Tree standing on unoccupied or Government land shall not be cut without permission in writing of the Collector;

Provided that the Tahsildar (which includes Additional Tahsildar and Naib Tahsildar) on the recommendation of Gram Panchayat level committee on the basis of a valid resolution passed in its duly convened meeting, may in writing permit cutting and removal of trees or parts thereof, of Babool species from unoccupied land in the village for bonafide use of the residents of that village only, in accordance with the Nistar Patrak prepared under section 234 of the Code.

6. A Bhumiswami whose land is tree clad and which is unsuitable for permanent cultivation, may apply to the Collector for an exchange with cultivable land, belonging to the State Government approximately equal value at the current market rate:

Provided that such exchange shall not be disadvantageous to either party and that other persons are not affected adversely by such an exchange.

7. (1) Where any Revenue Officer has reason to believe that a tree has been cut in contravention of the provisions of these rules, wood or corpus of such tree may be seized by or under the order of the Revenue Officer.

(2) Where the Revenue Officer is an officer other than the Sub-Divisional Officer, a report of such seizure shall within fifteen days, be made by him to the Sub-Divisional Officer, for such action as he may deem fit under Section 253 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

8. (1) The Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000 shall apply for transporting the forest produce received from cutting the trees.

(2) Any person incharge of the forest produce in transit shall, whenever called upon to do so by any Forest Officer, Revenue Officer or Public Officer, produce for inspection the pass or passes in respect of forest produce in his charge.

9. The Madhya Pradesh Prohibition or Regulation of the cutting of Trees Rules, 2002 are hereby repealed :

Provided that any action taken or order passed under the provisions of the rules so repealed, shall be deemed to have been taken or passed under these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DEVENDRA SINGHAI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2007

क्र. एफ. 2-39-04-सात-शा.-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 241 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (बासठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, जो उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, अर्थात्:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम, तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश शासकीय वनों से लगे हुए ग्रामों में इमारती लकड़ी को काटकर गिराने तथा हटाने का विनियमन नियम, 2007 है.

(2) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 241 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित आदेश का हिन्दी में अनुवाद किया जाएगा और ऐसे अनुवाद की एक प्रतिलिपि ऐसे ग्रामों में, जो अधिसूचित क्षेत्र में समाविष्ट हों, सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाई जाएगी. इसकी एक प्रतिलिपि ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा के सूचना फलक पर चिपकाई जाएगी और इसकी घोषणा संबंधित ग्रामों तथा साप्ताहिक हाट यदि कोई हो, में भी डोंडी पिटवा कर की जाएगी.

3. प्रत्येक ग्राम पंचायत में, एक ग्राम पंचायत स्तरीय समिति होगी, ऐसी ग्राम पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति के समस्त सदस्य और स्थानीय बीट गार्ड तथा पटवारी ऐसे समिति के सदस्य होंगे. सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति का सभापति तथा ऐसी समिति का सचिव ऐसी समिति का सदस्य-सचिव होगा.

4. जब किसी ग्राम में धारा 241 की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश उद्घोषित कर दिया जाय, तब विक्रय या व्यापार अथवा व्यवसाय के प्रयोजनों हेतु अपने खाते में के किसी राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी के वृक्ष को काटकर गिराने का इच्छुक कोई व्यक्ति, इन नियमों से संलग्न प्ररूप "क" में लिखित में तीन प्रतियों में आवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा :

परन्तु वृक्षों को काटे जाने या काटकर गिराये जाने के लिए कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी, यदि वृक्षों को काटा जाना या काटकर गिराया जाना मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001) के अनुसार है:

परन्तु यह और कि मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन विरचित मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी भूमिस्वामी के खाते में की राष्ट्रीयकृत

इमारती लकड़ी के वृक्षों को काटकर गिराये जाने और अधिवहन के लिए, यदि ऐसा काटकर गिराया जाना संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में नहीं है तो, अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी, यदि उसने स्वयं ने इन वृक्षों का रोपण, जिसमें वाणिज्यिक रोपण भी सम्मिलित है, किया है.

परन्तु यह और भी कि भूमिस्वामी, किसी रोपण के संबंध में, तहसीलदार तथा वन रेंज अधिकारी को प्ररूप "ख" में अग्रिम सूचना देगा और ऐसे रोपण को, खसरा को सम्मिलित करते हुए, तुरंत राजस्व अभिलेखों में, सम्यक् रूप से अभिलिखित किया जाएगा.

स्पष्टीकरण.— (1) इस नियम के उपबंधों के प्रयोजन के लिए "वाणिज्यिक रोपण" में इस नियम में यथा, उपबंधित राजस्व अभिलेखों में इनके अभिलिखित होने के अध्यधीन रहते हुए, वाणिज्यिक फसल के रूप में वृक्षों का रोपण, उनका उगाना तथा उनकी कटाई सम्मिलित होगी.

(2) "राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी के वृक्ष" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्रमांक 9 सन् 1969) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रजातियां.

5. आवेदन प्राप्त होने पर, तहसीलदार तुरंत ही दूसरी प्रति उप संभागीय अधिकारी, वन को और तीसरी प्रति ग्राम पंचायत स्तरीय समिति को विचारार्थ भेजेगा ग्राम पंचायत स्तरीय समिति तथा उप संभागीय अधिकारी, वन से अनुशंसा/प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् यह सुनिश्चित करना कि इमारती लकड़ी के वृक्षों में से जिन्हें काटने हेतु आवेदन किया गया है, कौन-सी इमारती लकड़ी के वृक्ष जनहित में आरक्षित रखा जाना अपेक्षित है या कौन-से मिट्टी के कटाव को रोकने हेतु अपेक्षित हैं. वह खातें में उसके अतिरिक्त, जिन्हें वह अनुरक्षित रखे जाने का आदेश दे, इमारती लकड़ी के वृक्ष काटे जाने की अनुज्ञा दे सकेगा:

परन्तु ऐसे भूमिस्वामी के मामले में जो ऐसी जनजाति का हो, जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित की गई है, मध्यप्रदेश आदिम जनजाति (वृक्षों में हित) संरक्षण अधिनियम, 1999 के उपबंध लागू होंगे.

6. नियम 5 के अधीन भूमिस्वामी को लिखित में दी गई अनुज्ञा, एक राजस्व वर्ष के लिए मान्य होगी.

7. अनुरक्षित रखे जाने वाले इमारती लकड़ी के वृक्षों को निम्नलिखित रीति से चिन्हित किया जाएगा:—

(एक) ऐसे वृक्ष ग्राम के पटवारी अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित रखे जाने के लिये चिन्हित किए जाएंगे.

(दो) ऐसे वृक्षों पर सीने की ऊँचाई पर अर्थात् भूमि के तल से 1.3 मीटर पर कोलतार की पट्टी होगी और वे क्रमांकित किए जाएंगे.

8. ग्राम के पटवारी का यह देखने का कर्तव्य होगा कि ऐसे वृक्ष जिन्हें अनुरक्षित किए जाने का आदेश हुआ है, काट कर गिराये नहीं गये हैं.

9. (1) वृक्षों को काट कर प्राप्त की गई वन उपज के परिवहन के लिए मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 लागू होंगे.

(2) अभिवहन में वन उपज का प्रभारी कोई व्यक्ति, किसी भी वन अधिकारी, राजस्व अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा, जब कभी उससे ऐसा करने का कहा जाय उसके प्रभार में की वन उपज से संबंधित पास को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा.

10. (1) जहां किसी राजस्व अधिकारी के पास ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में किसी वृक्ष को काटा गया है तो वह राजस्व अधिकारी के आदेश के अधीन या उसके द्वारा ऐसे वृक्ष की लकड़ी या उसके काष्ठ (कार्पस) को अभिग्रहित कर सकेगा.

(2) जहां राजस्व अधिकारी उप संभागीय अधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी हो, वहां उसके द्वारा ऐसे अभिग्रहण की सूचना, पन्द्रह दिन के भीतर, उपखंड अधिकारी को, ऐसी कार्रवाई के लिए जैसी कि वह मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 253 के अधीन उचित समझे, करेगा.

11. मध्यप्रदेश शासकीय वनों से लगे हुए ग्रामों में इमारती लकड़ी को काट कर गिराने तथा हटाने का विनियमन नियम, 2002, एतद्द्वारा, निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के उपबंधों के अधीन की गई कोई कार्रवाई या पारित किया गया कोई आदेश इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई या पारित किया गया आदेश समझा जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंघई, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2007

पृ. क्र. एफ. 2-39-04-सात-शा.-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2-39-04-सात-शा.-2006, दिनांक 26 नवम्बर 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंघई, प्रमुख सचिव.

(तीन प्रतियों में)

प.क्रं.-

प्रारूप "क"

(नियम-4 देखिए)

(1) आवेदक का नाम, पिता का नाम तथा पता सहित . . . .

(2) उस भूमिस्वामी का, जिसके खाते में तथा पटवारी हल्का क्रमांक सहित उस ग्राम का नाम जिसमें वृक्ष काटकर गिराया जाना है. . . . .

(3) सर्वेक्षण क्रमांक /भू-खण्ड क्रमांक क्षेत्रफल सहित, जिसमें वृक्ष काटकर गिराया जाना है. . . . .

(4) पूर्वोक्त सर्वेक्षण क्रमांक/ भू-खण्ड क्रमांक में खड़े वृक्षों की प्रजातिवार तथा घेरावार कुल संख्या. . . . .

(5) घेरावार काटकर गिराये जाने वाले वृक्षों की संख्या तथा काटकर गिराये जाने वाले वृक्षों का अनुक्रमांक. . . . .

(6) क्रेता का नाम, पूर्ण विशिष्टियां तथा पता . . . .

(7) विक्रय की शर्तें तथा प्रतिफल . . . .

(8) एकत्र स्थान जहां तक काटी गई सामग्री का परिवहन या तो स्वयं या क्रेता द्वारा किया जाना है. . . . .

(9) परिवहन का मार्ग . . . .

स्थान . . . .

तारीख . . . .
आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप "ख"

(नियम-4 देखिए)

खसरा को सम्मिलित करते हुए, राजस्व अभिलेखों में इमारती लकड़ी के **वृक्षारोपण की प्रविष्टियों को अभिलिखित करने हेतु सूचना.**

प्रति,

तहसीलदार,
तहसील . . . . . .
जिला . . . . मध्यप्रदेश . . . .

(1) आवेदक का नाम, पिता का नाम तथा पता . . . .

(2) सर्वे क्रमांक तथा क्षेत्रफल, पटवारी हल्का क्रमांक एवं ग्राम जिसमें वृक्षारोपण प्रस्तावित हैं. . . . .

(3) भूमि के स्वामित्व के संबंध में विशिष्टियां . . . .

(4) प्रत्येक खसरा क्रमांक में विद्यमान प्रस्तावित वृक्षों की संख्या . . . .

अनु. क्रमांक	खसरा क्रमांक	विद्यमान वृक्षों की संख्या तथा प्रजाति	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु पौधों की संख्या और प्रजाति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)

पृ.क्र.-
पिछला अगला

स्थान . . . .

दिनांक . . . .

आवेदक के हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंघई, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 26th November 2007

F. N. F-2-39-04-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (LXII) of sub-section (2) of Section 258 read with sub-section (1) of Section 241 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby, makes the following rules, the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 258 of the said Code, namely:—

RULES

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Regulation of the felling and Removal of Timber in Villages adjoining Government Forests Rules, 2007.

(2) They shall come into force with effect from the date of publication in the " Madhya Pradesh Gazette".

2. The order published in the Gazette under sub-section (1) of Section 241 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) shall be translated in Hindi and a copy of such translation shall be affixed at public places in such villages as are comprised in the notified area. A copy of it shall be affixed to the notice board of the Gram Panchayat and Gram Sabha and shall also be proclaimed by beat of drum in the villages concerned and at the weekly market, if any.

3. There shall be a Gram Panchayat Level Committee in every Gram Panchayat. All members of the General Administration Committee of such Gram Panchayat and local Beat Guard and Patwari shall be the members of such committee. Chairperson of the General Administration Committee shall be the Chairman and Secretary of such Committee shall be the Member-Secretary of such Committee.

4. When an order has been proclaimed in any village under sub-section (2) of Section 241 any person desirous of felling any nationalised timber tree in his holding, for sale, or for purpose of trade, or business shall submit in writing to the Tahsildar an application in triplicate in Form-A appended to these rules:

Provided that no permission for cutting or felling of trees shall be required if the cutting or felling of trees is in accordance with the Madhya Pradesh Lok Vaniki Adhiniyam, 2001 (No. 10 of 2001) :

Provided further that subject to the provisions of the Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 and the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000 framed under the Indian Forest Act, 1927, no permission for felling and transit of nationalised timber trees in the holding of any Bhumiswami shall be required if he himself has planted these trees, including commercial plantation if such felling is not in contravention of the provisions of the Code:

Provided also that, in respect of any plantation, the Bhumiswami shall give information in Form-B to the Tahsildar and Forest Range Officer in advance and such plantation shall be duly recorded in the relevant revenue records including the Khasra.

Explanation (1) For the purpose of this rule, 'Commercial Plantation' shall include planting of trees, their raising and harvesting as a commercial crop subject to its recording in revenue records as provided in this rule.

(2) Nationalised timber trees means the specified species under the Madhya Pradesh, Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969.

5. On the receipt of the application, The Tahsildar shall immediately send the duplicate copy to the sub-Divisional Officer, Forest and the third copy to the Gram Panchayat Level Committee for consideration. After receiving the recommendation/report from Gram Panchayat Level Committee and Sub-Divisional Officer, Forest, he shall ascertain which timber trees from among those applied for to be cut, require to be retained in public interest or which are required for preventing erosion of soil. He may permit the cutting of timber trees in the holding other than those, which he orders to be retained:

Provided that in the case of a Bhumiswami belonging to a tribe which has been declared to be an aboriginal tribe under sub section (6) of Section 165 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 the provisions of the Madhya Pradesh Protection of Aboriginal Tribes (Interest in Trees) Act, 1999, shall apply.

6. Permission granted in writing to a Bhumiswami under rule 5 shall hold good for one Revenue year.

7. The timber trees to be retained shall be marked in the following manner:—

(i) such trees shall be marked for retention by village Patwari or by any other person authorised by the Collector.

(ii) such trees shall be given a coal tar band at breast height i.e. at 1.3 meter from the ground level and shall be serially numbered.

8. It shall be the duty of the Patwari of the village to see that such trees as are ordered to be preserved, are not felled.

9. (1) The Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000 shall apply for transporting the forest produce received from cutting the trees.

(2) Any person in-charge of the forest produce in transit, shall, whenever called upon to do so, by any Forest Officer, Revenue Officer or Police Officer, produce for inspection the pass or passes in respect of forest produce in his charge.

10. (1) Where a Revenue Officer has reason to believe that a tree has been cut in contravention of the provisions of these rules, wood or corpus of such tree may be seized by or under the order of the Revenue Officer.

(2) Where the Revenue Officer is an Officer other than the Sub-Divisional Officer, a report of such seizure shall, within fifteen days, be made by him to the Sub-Divisional Officer, for such action, as he may deem fit under Section 253 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

11. The Madhya Pradesh Regulation of the Felling and Removal of timber in village adjoining Government Forests Rules, 2002 are hereby repealed:

Provided that any action taken or order passed under the provisions of the rules so repealed shall be deemed to have been taken or passed under these rules

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DEVENDRA SINGHAI, Principal Secy.

(in triplicate)

FORM-A
(See rule 4)

(1) Name of applicant with percentage and Address .....

(2) Name of the Bhumiswami over whose holding and the Village with Patwari halka Number in which felling is to be done. .....

(3) Survey Number/Plot Number with area over which felling is to be done. .....

(4) Total Number of trees standing in the aforesaid survey number/plot number specie-wise and grithwise. .....

(5) Number to be felled grith-wise and serial number of trees to be felled. .....

पृ.क्र.-

पिछला	अगला

(6) Name full particulars and address of the purchaser . . . .

(7) Condition and consideration of sale . . . .

(8) Destination to which felled material is to be transported either personally or by the purchaser. . . . .

(9) Route of Transport . . . .

Place . . . .

Date . . . . Signature of applicant.

FORM-B

(See rule 4)

Information for recording the entries of timber tree plantation in revenue records including khasra.

To,

The Tahsildar,
Tahsil . . . .
District . . . .
Madhya Pradesh.

(1) Name/Father's Name and address of the applicant . . . .

(2) Survey number and area Patwari halka number and Village in which the plantation is proposed. . . . .

(3) Particulars regarding the ownership of the land . . . .

(4) Number of trees existing/proposed in each khasra number. . . . .

S. No.	Khasra Number	Number of existing trees and name of species	Number of plants for proposed plantation and name of species
(1)	(2)	(3)	(4)

Place . . . .

Date . . . . Signature of applicant.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DEVENDRA SINGHAI, Principal Secy.